SHRI N. K. PREMACHANDRAN: During the same monsoon season, relief from NCCF was given to so many other States, like Orissa, Gujarat. If that were the case, the non-allocation of funds from NCCF to the State of Kerala is a discriminatory approach on the part of the Centre towards the State of Kerala.

SHRI AJIT SINGH: Funds from the NCCF are allocated after teams are sent to the States. The group of Ministers meets, and, on the basis of the norms, the funds are allocated. I can assure the Member that there is no discrimination against Kerala or any other State, for that matter. Very strict norms have been laid down as to what kind of expenses are allowed under the National Calamity Contingency Fund. Reconstruction work is not really allowed. According to the Eleventh Finance Commission's report, the damage caused to the infrastructure is riot allowed under the National Calamity Contingency Fund; that would be met from the Plan expenditure*.

Basic facilities in primary schools in rural A.P.

*287 DR. DASARI NARAYANA RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey to find out the number of primary schools in rural Andhra Pradesh which do not have school buildings, class rooms and basic facilities like benches, drinking water and toilets;

(b) if so, the findings" thereof, district-wise; and

(c) the remedial measures Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF OCEAN DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes Sir. A survey was conducted as a part of the District Primary Education Programme (DPEP).

(b) The Govt, of Andhra Pradesh have furnished the findings of the above survey which are enclosed. *(See* below)

Statement

Basic Facilities in Primary Schools in Rural Andhra Pradesh

Primary Schools without buildings and classrooms and basic facilities like drinking water, toilets and compound walls in Andhra Pradesh as per the information provided by the State

S.No.	Name of the District	No. of Primary Schools	Primary Schools without buildings			No. of Primary Schools requiring Additional Classrooms	Requirement of Other infrastructure facilities Primary Schools without		
			Schools without buildings 02 without buildings	New Primary Schools started during 2001 -- buildings	Total Schools without buildings		Drinking Water	Toilets	Compound Walls
1	Vizianagaram	2364	129	136	265	2274	555	1321	2087
2	Nellore	3067	121	106	227	2337	1539	1990	2152
3	Kurnool	3313	31	339	370	2891	1783	3009	3002
4	Karimnagar	1686	51	558	609	1926	404	1089	1867
5	Warangal	2142	87	472	559	2029	1409	1122	1924
6	Srikakulam	3041	133	110	243	1684	1024	2281	1977
7	Visakhapatnam	3024	148	213	361	1546	1104	1812	1795
8	Guntur	2888	50	185	236	1610	895	2026	1924
9	Prakasham	3036	61	127	188	1882	960	2035	2838
10	Chittoor	4490	296	175	471	2899	1624	3545	2985
11	Cuddapah	2972	63	182	245	1675	1099	2420	1963
12	Anantapur	3159	39	255	294	1016	674	1466	1036

1	2	3	4	5	6	7	1	9	10
13	Mahabub Nagar	2277	16	481	497	1471	1094	1535	1761
14	Ranga Reddy	1438	162	643	805	1105	726	1223	1112
IS	Medak	1535	44	481	525	986	605	1140	994
16	Nizamabad	1241	47	591	645	855	469	966	1070
17	Adilabad	2884	199	383	582	1377	911	1950	1989
18	Khammam	2196	69	377	446	1157	861	1614	1470
19	Nalgonda	2201	90	416	506	1464	828	1129	1339
20	East Godavari	3281	548	213	761	2864	2030	3396	2952
21	West Godavari	2436	422	196	618	2008	1043	1736	1768
22	Krishna	2367	272	213	485	1422	1010	1639	1444
23	Hyderabad	318	7J	491	562	318	89	16	66
	TOTAL	57356	3149	7351	10500	38796	22736	40460	41515

NOTE: The Report does not include survey of benches.

(c) According to the information received from the Govt, of Andhra Pradesh, in addition to the constructions taken up under District Primary Education Programme, infrastructural facilities like additional classrooms, drinking water, toilet facilities and boundary walls are proposed to be taken up under Sarva Shiksha Abhiyan and other schemes such as Pradhan Mantri Gramodaya Yojana, Area Intensive Programme for Educationally Backward Minorities, Food for Work Programme etc. and funds provided under 11th Finance Commission.

DR. DASARI NARAYANA RAO: Mr. Chairman, Sir, as per the annexure given by the hon. Minister, out of 57356 schools, 10,500 schools have no buildings, 38796 schools have no classrooms, 22736 schools have no drinking water for the children, 40460 schools have no toilets for the children who have to stay back there for about eight hours, 41515 schools have no compound walls. Sir, these primary schools are meant for the poor children especially belong to the SCs, STs, BCs and other weaker sections of the society because they cannot afford to make their children get educated in private schools by paying a lot of donation. My specific question to the hon. Minister is: How much fund is required for providing these facilities in all these schools and how much the Central funds the Government proposes to allocate to the State? Did the State Govemment do anything in this regard? I would also like to know whether the State Government has submitted any proposal to the Ministry and what the HRD Ministry is going to do for these schools.

ड़ा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन् , पहली बात यह है कि इस में आप इस बात को देखें कि ये विद्यालय जहां भवन बिल्कुल नहीं है, उन की संख्या 3796 नहीं है बल्कि ये वे विद्यालय हैं जहां एक अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है यानी जहां दो कमरे थे उस में तीसरा बनाने की जरूरत है या जहां एक कमरा था वहां दूसरा बनाने की जरूरत है । लेकिन जहां तक प्राथमिक शिक्षा के इन केन्द्रों का सवाल है, इसकी मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और राज्य सरकारों को उसके बारे में प्रबंध करना है, लेकिन फिर भी हम अनेक कार्यक्रमों के अंतर्गत जिन का मैंने उल्लेख किया है, उनमें विभिन्न राशियां देते हैं । इसलिए कुल किस-किस मद से कितनी राशि गयी जो कि भवन बनाने या अन्य सुविधाओं के लिए हैं, उसके बारे में सम्मानित सदस्य अगर अलग से नोटिस देंगे तो हम विभिन्न मंत्रालयों से पूछकर जानकारी दे सकते हैं । लेकिन जहां तक हमारा काम है , उसमें अभी सर्व शिक्षा अभियान की दृष्टि से हमने जो कार्यक्रम किए हैं, उसके लिए हम फंड्स देते हैं और आंध्र प्रदेश ने अपने जिलों के बारे में जितने भी प्रस्ताव भेजे हैं , उन सबको हमने स्वीकृत कर दिया है और वह पैसा भी उनको रिलीज कर दिया गया है । उसके संबंध में अब कहीं कोई कमी नहीं है । इस बारे में जो प्रस्ताव वहां से आ रहा है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में सभी बातों का ध्यान रखना है, वहां अगर भवन बनाने हैं, अध्यापक नियुक्त करने हैं या और नया काम शुरू करना है तो आंध्र प्रदेश से जितने भी प्रस्ताव आए थे, वह सब हमने मंजूर कर दिए हैं और उसके अंतर्गत डी.पर.ई.पी. के प्रथम फेस में 7 करोड़ रूपया, दूसरे फेस में हमने 45 करोड़ रूपया, सर्व शिक्षा अभियान के

अंदर 19.55 करोड़ रूपया जोकि डिस्ट्रिक्ट्स डी.पी.ई.पी. से कवर होते थे और 3.29 करोड़ रूपया जो केन्द्र अपर प्रायमरी डी.पी.ई.पी. जिलों में थे, उनके लिए दिया गया और ई.जी.एस. एंड ए.आई.आई.ई. के लिए 9.92 करोड़ रूपया दिया गया है और प्रधान मंत्री ग्रामीण रोजगार से 14 करोड़ 20 लाख रूपया व आपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए 55.68 करोड़ रूपये दिया गया है । सभापति महोदय, इन सभी योजनाओं से कहीं भवन, कहीं लिखाई-पढ़ाई की सामग्री या जो भी आवश्यकताएं राज्य सरकार तय करती है, वह पूरी की जाती हैं ।

DR. DASARI NARAYANA RAO: Sir, my second supplementary is, there are 13126 schools in the State which are very old and are in a dilapidated condition. They require major repair. I am afraid if these buildings are not repaired properly, then a danger is awaiting. There will be a big danger to these poor school children. This can be anticipated soon. I would like to know from the hon. Minister what the Government proposes to do get these schools repaired. I would also like to know whether the Ministry of Human Resource Development would instruct the State Govemment to do this work immediately. What is the action that the Ministry is going to take in this regard?

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, हम इस संबंध में राज्य सरकारों से चर्चा करते रहते हैं और उनका ध्यान आकृष्ट करते रह सकते हैं, लेकिन यह किसी भी केन्द्रीय सरकार के लिए संभव नहीं है कि अगर कोई स्कूल भवन हजारों की तादाद में टूट जाएं और जिस की तरफ प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी ध्यान न दे पाए, तो यह काम उनको करने की जरूरत है । वह इसे करें । और उसमें हम उनकी सहायता करते हैं । जब कभी कोई ऐसी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, जैसे उड़ीसा में आई थी या गुजरात में आई थी तो हमने अपनी तरफ से और ज्यादा सहायता दी, लेकिन अगर प्राथमिक विद्यालय का कोई पुराना भवन चला आ रहा है तो उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को लेनी चाहिए और उसकी व्यवस्था उसे अपने बजट में करनी ही चाहिए । फिर भी जहां कहीं से ऐसी बात आती हैं या राज्यों से योजनाएं आती हैं तो उस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं । इसके लिए हमने पांच हजार रूपया प्रति विद्यालय की व्यवस्था की है कि जहां मुख्य रूप से भवन की इमारत को कोई नुकसान होता है तो उसको ठीक-ठाक करने के लिए, मेजर रिपेयर्स के लिए हम देते हैं, लेकिन अगर कोई पूरा ही भवन गिर जाए और उसके लिए सारी व्यवस्था केन्द्र सरकार को करनी पड़े तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी बात नहीं होगी । हम समझते हैं कि मिलकर काम होना चाहिए, हम अपनी तरफ से तो मदद करते हैं । मैं सम्मानित सदस्यों से यह कहूंगा कि अगर वह इस मामले में कम से कम अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने एम.पी. लोकल एरिया डवलपमेंट फंड से मदद कर सकें तो वह भी एक रास्ता हो सकता है । यह भवन लाख, दो लाख, ढाई लाख के अंदर बनते हैं और अगर आप यह कर लें कि पचास भवन आप अपने फंड से ठीक करेंगे तो

उससे भी बहुत कुछ काम हो सकता है । यह भी एक तरीका हो सकता है । तो यह सभी माननीय सांसदों को, विधायकों को, राज्य सरकार को और केन्द्र सरकार को मिलकर करना है ।

डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद : सभापति महोदय, राज्यसभा की टर्न में आज मेरा प्रश्नकाल में अंतिम दिन है । मैं चूंकि यूनिवर्सिटी का अध्यापक हूं और सौभाग्यवश आज मुझे शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न एक आचार्य से पूछने का सुअवसर मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को जो योजनाएं दे रही हैं , उसके माध्यम से पैसा भी दे रही है और राज्य सरकारें उसे विदड्रा कर रही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में तो नहीं, कुछ राज्यों में यह जो धनराशि यहां से जिन योजनाओं के लिए भेजी जाती है, उसका उपयोग उन योजनाओं में न होकर अन्य कामों में होता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े लोगों के लिए, उनके विकास के लिए जो निधि राज्य सरकारों को भेजी जाती है और उस राशि का उपयोग उन योजनाओं में नहीं होता तो उस पर कोई चैक लगाने की आपकी कोई योजना हैं? नहीं तो यह पूरी योजनाएं आपकी असफल हो जाएंगी ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सर, जो हमारी सर्वशिक्षा अभियान की योजना है, उसमें हम चेष्टा यह कर रहे हैं कि इसका धन राज्य सरकार को जाने के बजाय जो राज्य में सर्वशिक्षा अभियान के लिए समिति बनी है उसके पास जाय । इसमें वित्तीय प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम व्यवस्था करेंगे । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं और यह जानकारी हमारे पास बार-बार आती है कि केन्द्र के द्वारा जो धनराशि राज्य सरकारों को दी जाती है, उसका उपयोग यथासमय और आवश्यकतानुसार नहीं होता, कई बार तो उस पैसे को उस योजना से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता है या पीएलए में रख दिया जाता है। इस तरह से योजना की पूर्ति होने में बाधा आती है, यह सच है । मैं समझता हूं कि इसका हल राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा से ही हो सकता है । हम बार-बार उनसे कहते हैं बार-बार उन पर दबाव भी डालते हैं कि ऐसा न होने पाए । कई जगह हमें सफलता भी मिलती है और कई जगह कठिनाई भी आती है । मैं सम्मानित सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वह भी अपनी राज्य सरकारों में इसके प्रति जागृति पैदा करें कि जिन योजनाओं के लिए पैसा केन्द्र सरकार से उनको मिलता है उन योजनओं में उसका उपयोग करें । एन डी सी की मीटिंग में भी इस संबंध में बात होती है और जब भी राज्यों से शिक्षा मंत्री यहां आते हैं, उनसे भी हम यही बात करते हैं, लेकिन तजुर्बे इस संबंध में अच्छे नहीं है । इस बात से मैं सहमत हूं कि जो पैसा हम राज्य सरकारों को जिस योजना के लिए देते हैं , उसका उपयोग उसके लिए न करते हुए दूसरी जगह कर लेते हैं । इस बात में वजन है, मगर आज की स्थिति में हम उनसे केवल बातचीत करके, अनुनय-विनय करके, थोड़ा बहुत समझा कर और कभी-कभी यह भी कहकर कि भाई, अगर आप योजना का पैसा दूसरी जगह खर्च करेंगे तो अगली बार आपको पैसा नहीं मिलेगा । हम बताते हैं और इस बात को वह जानते भी हैं कि इस वजह से बहुत सी योजनाएं आज तक अधूरी पड़ी हैं । हमने जो योजनाएं बनाई

हैं, उसमें इस बात की सावधानी यथासंभव रखी है और जहां तक आज के कानूनी नियमों के अंतर्गत, खासकर वित्त विभाग के नियमों के अतंर्गत किस तरह हम उन संस्थाओं को सीधे पैसा दे सकते हैं ताकि उनको एकाउंटिबिलिटी बनी रहे, इसको हम देख रहे हैं। कई बार यह कहा जाता है कि अगर राज्य सरकार को पैसा न देकर ऐसी समिति को दे दिया गया तो उसमें वित्तीय अनुशासन कैसे रहेगा ? इसका भी हमें हल निकालना है, लेकिन कुल मिलाकर कोशिश यह है कि पैसा सही जगह पहुंचें, गांव तक पहुंचे, विद्यालय तक पहुंचे ताकि योजना पूरी हो।

DR. RAJA RAMANNA: Sir, I have seen that there is no shortage of money for the primary schools in villages, but the efficient use of money is very much in question.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

———

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

UGC grants for Universities

*284. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of grants distributed by the UGC during the last three years, university-wise;

(b) whether it is a fact that UGC has stopped giving funds to some universities;

(c) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(d) whether any State Govemment has given representation to the Ministry, seeking restoration of UGC grants; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF OCEAN DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): A statement showing the State-wise and University-wise details of the grants paid by the UGC to Universities during 1998-99, 1999-2000 and 2000-01 under PIan and Non-Plan Schemes is attached as Annexure. *(See* Appendix 195, Annexure No. 26]

(b) and (c) The University Grants Commission has informed us that during the last three years, it has not stopped the release of funds to any eligible